


झारखण्ड सरकार  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 09.05.2018  
संख्या-1/विविध-864/2004 का०- 3061 / अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग,  
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अरुण कुमार सिंह, भा.प्र.से. (झा:1988) (अतिरिक्त प्रभार-  
प्रबंध निदेशक, JUIDCO ) के दिनांक 10.05.2018 से 27.05.2018 तक अवकाश पर रहने के  
फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति अवधि में श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी, भा.प्र.से. (झा:1986), अपर मुख्य  
सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य सचिव, नगर विकास  
विभाग, झारखण्ड तथा प्रबंध निदेशक, JUIDCO के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/विविध-864/2004 का० - 3061 /राँची, दिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा  
विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक  
एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (तीन अतिरिक्त प्रतियों में)/  
कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई  
दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री  
सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड,  
राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान,  
राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नेपाल हाउस/  
सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/  
सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/  
महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा  
पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य  
निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।


अधिसूचना

राँची, दिनांक 09.05.2018

संख्या-1/विविध-817/2017 का० - 3062 / श्री फैज अक अहमद मुमताज, भा.प्र.से. (झा:2014), परिवहन आयुक्त, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 10.05.2018 से 01.06.2018 तक के उपार्जित अवकाश (Ex-India Leave) एवं इन्हें उक्त अवधि में निजी व्यय एवं निजी कारणों से नेपाल की यात्रा की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. श्री फैज अक अहमद मुमताज, भा.प्र.से. (झा:2014) के अवकाश अवधि तक के लिए श्री राहुल शर्मा, भा.प्र.से. (झा:1998), सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड) परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,




(अरुण कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/विविध-817/2017 का.- 3062 / राँची, दिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।




सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/विविध-817/2017 का.- 3062 / राँची, दिनांक 09.05.2018

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/सम्बन्धित पदाधिकारी/सम्बन्धित विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची से अनुरोध है कि श्री फैज अक अहमद मुमताज, भा.प्र.से. (झा:2014)की छुट्टी अनुमान्यता प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाय।



सरकार के अवर सचिव।